भय के साये में आधी आबादी

पिछले सप्ताह मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा युवा वकील पल्लवी पुरुकायस्थ के दुष्कर्म के प्रयास और जघन्य हत्या तथा इससे एक दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली युवती की आगरा हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म की दो भयावह घटनाएं 2012 में भारत की शर्मनाक सच्चाई बयान करती हैं। एक अरब से अधिक आबादी वाले लोकतांत्रिक देश में आधी आबादी दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के भय से मुक्त नहीं हो पा रही है। महिलाओं और युवतियों के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और यौन शोषण की घटनाएं उस त्रासद अनुभव का हिस्सा है जो भारत में लैंगिक सुरक्षा को नकारता है। इस प्रकार की घटनाएं बराबर बढ़ती जा रही हैं। बहुत से मामलों में खुद परिवार में ही दोषी होता है और शर्मिंदगी से बचने के लिए पीड़िता या तो खुद चुप्पी साध लेती है या फिर उसे जबरन चुप करा दिया जाता है। हाल ही में गीतिका शर्मा की आत्महत्या इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कानून के भय से बेपरवाह राजनीतिक शक्ति किस कदर अत्याचारी, दुराचारी हो सकती है। भारत में दुष्कर्म के बहुत से मामलों के तार राजनीतिक और नौकरशाही तबके से जुड़े होते हैं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यह तबका आसानी से लीपापोती करने में कामयाब हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह स्याह सच्चाई है कि यहां अमीर और ताकतवर लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर कमजोर व विपन्न वर्ग पर कहर ढहाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने अधिक महत्वपूर्ण नजर आने वाले बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, किंतु भारतीय महिलाएं और लड़कियां यौन शोषण से जिस कदर भयाक्रांत हैं, उसे देखते हुए लालकिले पर आजादी के उत्सव के बाद संसद में ध्यान खींचने की वे पूरी तरह हकदार है। इस संबंध में आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 1973 में 44.28 फीसदी आरोपियों को निचली अदालतों ने दोषी करार दिया था। दशक दर दशक दोषसिद्धी की यह दर गिरती चली गई। 1983 में यह आंकड़ा गिरकर 36.83 फीसदी, 1993 में 30.30 प्रतिशत और 2003 में महज 26.12 फीसदी रह गया। कहने का मतलब यह है कि पिछले 30 सालों में दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराने की दर में बढ़ोतरी होने के बजाय यह गिरकर करीब आधी रह गई है। इन आंकड़ों का निष्कर्ष यह है कि अपराधियों को कानून का जरा भी भय नहीं रह गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत जांच की पूरी प्रक्रिया लैंगिक आग्रहों से संचालित है। कानून निरीह पीड़ितों के खिलाफ है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पर देश की दुष्कर्म राजधानी होने का दाग लगा है और मुंबई दूसरे स्थान पर है। भारत के हर राज्य में दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। पीड़ित को बुनियादी न्याय से भी वंचित कर दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि मीडिया भी इन खबरों को प्रकाशित-प्रसारित नहीं करता। आदिवासी और दलित महिलाओं, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और

यहां तक कि मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी बख्शा नहीं जाता। अन्य तमाम चुनौतियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के सामने स्वतंत्र भारत के इस शर्मनाक मुद्दे को सुलझाने की भी बड़ी चुनौती है। यौन उत्पीड़न की शिकार भारतीय बेटियों और बहनों को प्राकृतिक न्याय से वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता कानून को सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूपों में प्रभावी ढंग से लागू करने में निहित है। अकसर यह कमी उजागर होती है कि भारत में अनेक सराहनीय कानूनी प्रावधान के बावजूद इनका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है। जहां तक दुष्कर्म के मामलों का संबंध है, न्याय का आधार स्थानीय पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल और न्यायपालिका के सामने इसे पेश करने का तरीका है। यदि इस काम को उचित ढंग से निष्पादित किया जाता है, तभी दोषियों को सजा दी जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में, चाहे मामले छींटाकशी के हों या पीछा करने, छेड़छाड़ करने या फिर दुष्कर्म करने के, प्राथमिक स्तर की जांच बेहद संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ किए जाने की आवश्यकता है। भारत में अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने का तरीका पिछड़ा हुआ है और इसी कारण दोषी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। आज यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए समर्पित महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। यह मसला राच्य सरकारों के दायरे में आता है। दिल्ली और मुंबई जैसे यौन उत्पीड़न के बड़े राच्यों में स्थानीय पुलिस के साथ कुछ प्रयोग करके देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस का नारा-आपके साथ, आपके लिए पर महिलाओं का भरोसा कायम होना चाहिए। आज इसका ठीक उलटा है। जहां तक कानून का संबंध है, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े अपराधों के संबंध में वही दंड संहिता लागू है जो 1860 में निर्धारित की गई थी। इसके बहुत से प्रावधानों को बदले जाने की जरूरत है। हालांकि इस संबंध में जरा भी राजनीतिक समर्थन या इच्छाशक्ति देखने को नहीं मिल रही है। महिला संगठनों तथा विशेषज्ञों की बार-बार अपील के बाद इसी साल 21 जुलाई को मंत्रिमंडल ने संसद के सामने संशोधित आपराधिक कानून बिल पेश किया है। अब जबकि सरकार ने यह कदम उठा ही लिया है, संसद को इसे प्राथमिकता के आधार पर पारित कर देना चाहिए ताकि ऐसे कानूनी प्रावधान लागू हो सकें जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़ने के मामलों पर अंकुश लगा सकें तथा पीड़ित को त्वरित न्याय दिला सकें। इसके अलावा, इस प्रकार के अपराधों को रोकने की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रोत्साहित, उत्प्रेरित और जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी और मायावती जैसे नेताओं को आपस में मिलकर जता देना चाहिए कि जहां राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है, वहां आम औरत के पक्ष में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

[लेखक सी उदयभाष्कर, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं]

यह लेख पढ़ कर ऐसा लगा कि अभी भी देश में कुछ लोग हैं जिन्हे शर्मीदगी महशूस होती है। भारत देश आजदी का **65**वां गणतंत्र दिवस मन रहा है। जगह जगह भाषण हो रहे हैं बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, आश्वासन पर आश्वासन दिये जा रहे हैं। पर जमीन पर कुछ नहीं केवल आसमानी उड़ान लगता है। देश की आधी जनता आज भी आजादी के **65** साल बाद एक वक्त भूखा सोता है। भारत की बहु- बेटियों की रोज चीर हरण हो रहा है और न्याय की गोहार लग रहे हैं किससे? यही है हमारा वास्तविक विकास दर कि हम जीडीपी के आकड़ों को भूखे पेट देखते रहें। कहने को भारत देश आजाद है पर यह आजादी किसके लिए है अब तक समझ में नहीं आता? कहने को हम सब विकासशील भारत के नागरिक हैं लेकिन किस दर्जे का हमें पता नहीं। भारत में कौन सा संविधान लागू है यह भी हम नहीं जानते। हमारे मौलिक अधिकार व समता स्वतंत्रता बंधुत्व व न्याय की परिभाषा कितने लोगों को मालूम है। कहावत है जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब नजर की भोर। कोई दामन पाक नजर आता है कि वह भय व भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके। सबके आंचल दाग के धब्बों से भरे है। किसको दोष दें और किसको सफाई कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। जिसको मौका मिला वही देश को लूटने को तैयार है।

यदि किसी ने इन दरिन्दों के खिलाफ आवाज उठाया तो वह नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है या फिर किसी देश द्रोह का अपराधी बना दिया जाता है सारा छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर संभाग शासन व आराजक तत्व दोनों के हाथों मारा जा रहा है। वही धड़ल्ले से आरएसएस जंगलों में घूस कर बनवासी कल्याण आश्रम चला है। ये कैसा खेल खेला जा रहा है। यदि घोटाला और अन्याय अत्याचार को अपनी आखों से देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ चले जायें वहॉ गांव व जंगल सब जगह अत्याचारियों का बोलबाला देखने को मिलेगा और आवाज उठाने वाला भी वहॉ कोई नहीं मिलेगा।